न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील माल प्रकरण सं0 53/14

1. कलावती पत्नी श्री पूर्ण राम
2. मनी राम उर्फ विजय
3. अजयपाल पिसरान पूर्णराम अकवाम जाट सकनाए 1 एफ छोटी ढाणी टेलेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (भू0 अभिलेख) श्रीगंगानगर !

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03.02.2014 तहसीलदार, (भू0अभि0), श्रीगंगानगर।

उपस्थित : 1. श्री काशीराम रणवां अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश **दिनांक : 15–09–15**

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकृत इंतकाल अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके चक 1 एफ छोटी के मु0 नं0 51 के किला नं0 25 में दो बिस्वा भूमि रास्ते का इंतकाल स्वीकृत किया गया है। इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलकृत आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलकृत इंतकाल के कॉलम सं0 14 में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश का हवाला दिया गया है। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी थी। इंतकाल की प्रकिया अपील के लम्बनकाल में की गई है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 20–1–14 को पारित किया गया, जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 467/14 दिनांक 29–1–14 को प्रस्तुत कर दी थी जो विचाराधीन है, जिसकी सूचना पटवारी हल्का व तहसीलदार को दे दी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के अपीलकृत इंतकाल पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

कलक्टर (प्रशासन)
नगर (राज.)

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नही किया गया है । अपीलकृत इंतकाल जिस आदेश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के अपीलीय निर्णय दिनांक 31–8–15 से उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 31–12–13 अपास्त कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलकृत इंतकाल जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 28–8–14 को प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल सं0 405 दिनांक 3–2–14 को उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 31–12–13 के अनुसरण में पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–14 जिसकी अपील अपीलांटास द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी तथा अपीलीय निर्णय दिनांक 31–8–15 से उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–12–13 अपास्त कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील के लम्बनकाल में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 31–12–13 अपास्त हो जाने से प्रकरण पुनः निर्णय एवं जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, मा0न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–15 को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 15–09–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 15/9/15